संख्या-106/2018/4000/22-2-2017-17(74)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुधीर पुत्र श्री बालेश्वर निवासी जनपद-मेरठ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43642/प्रोबे0(2)-182/(एम0-22.06.2017 दिनांक-08.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुधीर पुत्र श्री बालेश्वर, जो मुल्हैडा, थाना-सरधना, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। दोनों पक्षो के मध्य पूर्व से चल रही मुकदमेंबाजी एवं रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-09-1999 को प्रात: लगभग 10:00 बजे खेत में चरी काट रहे राजपाल व अशोक की रायफल व तमन्चे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-128/2000, 127/2000 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष सं0-14), मेरठ के आदेश दिनांक 21.08.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2007 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2017 तक 17 वर्ष 06 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 00 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार से रिहा हो चुके हैं, तथा 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व तमन्चे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा। अतः बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुधीर पुत्र श्री बालेश्वर को रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- अतः उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुधीर (बन्दी संख्या-13440) पुत्र श्री बालेश्वर निवासी जनपद-मेरठ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-106/2018/4000/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।